

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

लिखमा

बनाम

रूपाराम

म प्रकरण राजस्व वाद

प्रकरण संख्या 123/2013

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
3.06.13	यह वाद वकील वादी ने अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.07.2013 को पेश हो।	
	<p style="text-align: center;">३</p> <p>5/7/13 वकील वादी उपर प्रतिवादी स. 1, 5, 7, 15, 16 व 18 के समुपन बाद तामिल प्राप्त है जो जे तलब है उनके विरुद्ध एक प्रतिप कार्यवाही कल्ल के साथी जारी होशेक पत्रावली की तलब है डे समुपन तलबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक 14/9/13 को पेश हो।</p>	
16/9/13	पत्रावली पेश हुई / वकील वादी उपर / लकी पत्रावली के समुपन तलबाना पेश कल की विरुद्ध ही जज पत्रावली दि. 23-10-13 को पेश हो।	
23/11/13	<p>लकाय/पत्रावली के प्राधिकरण</p> <p>सिद्धांत तलबाना के विरुद्ध प्रतिप पत्रावली पेश समुपन तलबाना पत्रावली दि. 14.11.13 को</p>	
14/11/13	<p>लकाय/पत्रावली के प्राधिकरण</p> <p>सिद्धांत तलबाना के विरुद्ध प्रतिप पत्रावली पेश समुपन तलबाना पत्रावली दि. 26/12/13 को</p>	

आदेश  
अनुपालना  
संक्षिप्त

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट) (नियम 28)

माल्य.....  
 342003 अधिकारी जाफरा  
 लिखित बनाम नया 19  
 एण की किस्म.....  
 एण की संख्या..... 123 वर्ष 2013

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
19.4.17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 14.6.17...को प्रस्तुत करें। e</p>	
24/6/17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 30.11.17...को प्रस्तुत करें। e</p>	
30/11	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 31.01.18...को प्रस्तुत करें। e</p>	
15.5.18	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>3.01.18</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 18.5.18...को प्रस्तुत करें। e</p> <p>पत्रावली जाफरा आप के द्वारा शिबिर में अल्प सेवा केन्द्र गौराकु में पेश हुयी गत वारी के 02, 03, 04, 06 व 8 तथा 14 व 17 के नोटिस ताकिस बुद्धा पत्रावली</p>	

जाति. जाट, निवासी. गौराकु तहसील जायलगा...

में उपलब्ध है। तामिल भाषी जातीयों को  
 जवाब देते हुए एक अवसर दिया जाता है।  
 पत्रावली वाले जवाब डेल्टा दिनांक  
 07.6.18 को पेश हो इतना निवेदन के  
 पश्चात वकील वंदी के उपस्थित होकर  
 वाद को नोट प्रेस कर निवेदन किया कि  
 कांस्टीबल को चलाना नहीं चाहिए इस  
 लिए वाद को जरिमे विद्रोह स्वारीज  
 किया जावे। वकील वादी के द्वारा नोट प्रेस  
 करने के कारण कांस्टीबल का वाद जरिमे  
 विद्रोह स्वारीज किया जाता है, पत्रावली  
 फ़ैलत शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
 फ़ैलत साखिल है।

Not Proceed  
 म/शुभानाम